ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार सरकार

सकारण आदेश

स०आ०सं0 :–3/अ०प्र०–1–89/2021 1433 /पटना, दिनांक :– 4-10-21

श्री छोटू प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, बिरौल, किरतपुर प्रखंड द्वारा उन्हें अधिरोपित शास्ति संबंधी आदेश एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन संबंधी आदेश को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या–14991/2010 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–21.05.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ पथ निर्माण विभाग द्वारा संचिका ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

2. श्री प्रसाद के संदर्भ में प्रश्नगत् मामले का विवरण निम्नांकित है –

श्री छोटू प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, बिरौल, किरतपुर प्रखंड द्वारा विरौल प्रखंड/किरतपुर प्रखंड, दरभंगा के पदस्थापन काल में उनके विरूद्ध कतिपय पंचायत में बाढ़ राहत सामग्री के रूप में गेहूँ एवं लाखों रूपये के वितरण में गबन, अनियमितता एवं जमालपुर थाना काण्ड सं0–022/2002 दिनांक–10.05.2002 दर्ज किये जाने के कारण दिनांक–29.05.2003 से दिनांक–06.04.2004 तक न्यायिक हिरासत में रहने के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा श्री प्रसाद को हिरासत में बितायी गयी अवधि के लिए कार्यालय आदेश सं0–63 दिनांक–15.05.2005 द्वारा निलंबित किया गया एवं 05 आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1967 दिनांक–12.07.2006 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनके विरूद्ध गठित सभी 05 आरोपों को प्रमाणित पाया गया। विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के आधार पर श्री छोटू प्रसाद, कनीय अभियंता को पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदश संख्या–250–सह–पठित ज्ञापांक–2927 दिनांक–10.08.2009 द्वारा निम्न शास्ति अधिरोपित की गयी–

(i) अपने संवर्ग वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम में पदावनत किया जाता है और भविष्य में कभी भी इनकी वरीयता की गणना इस वर्तमान पद के अनुरूप नहीं किया जायेगा।

(ii) अपने शेष सेवाकाल में इन्हें कभी भी कार्य पद पर पदस्थापित नहीं किया जाय।

4. उक्त अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–199–सह पठित ज्ञापांक 2452 दिनांक 21.06.2010 द्वारा अस्वीकृत करते हुए श्री प्रसाद को संसूचित किया गया।

5. उक्त अधिरोपित दंडादेश एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन संबंधी अस्वीकृति आदेश के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC संख्या–14991/2010 दायर किया गया। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–21.05.2021 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसके कार्यकारी अंश निम्न हैं :–

" Considering the fact that the report of the Block Development Officer was the basis for initation of departmental proceeding against the petitioner, it was incumbent on the part of the respondents to examine the Block Development Officer for framing of the charges but that was not done. In fact not a single witness has been examined in the departmental Proceeding. The petitioner has been inflicted major of facts, the petitioner has been acquitted.

Accordingly, the writ application stands allowed with a cost of Rs- 50,000/- in favour of the petitioner.

The orders dated 10.08.2009 as contained in Memo no. 2927 (E) issued be the Engineer-in-chief-cum-Additional Commissioner-cum-Special Secretary, Department of Road Construction, Government of Bihar (Annexure-1) and the order dated 21.06.2010 as contained in memo No. 2452 (E) issued by the Engineer-in-Chief-cum-Additional Commissiner-cum-Special Secretary, Department of Road Construction, Government of Bihar (Annexure-2) are quashed.

The respondents are directed to ensure payment of all the benefits to the petitioner in accordance with the direction issued hereinabove within a period of three months from today, failing which, the date of actual payment."

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कार्यालय आदेश सं0– 250–सह–पठित ज्ञापांक–2927 दिनांक–10.08.2009 एवं कार्यालय आदेश सं0–199–सह–पठित ज्ञापांक–2452 दिनांक–21.06.2010 को निरस्त करने एवं सभी परवर्ती लाभ यथा–वेतन निर्धारण, प्रोन्नति आदि की कार्रवाई एवं भुगतान अनुमान्य किये जाने का निर्णय लेते हुए श्री प्रसाद के वर्तमान संवर्ग ग्रामीण कार्य विभाग को संचिका हस्तांतरित की गई।

7. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ तथा प्रश्नगत संचिका के समीक्षोपरांत श्री छोटू प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को कार्यालय आदेश सं0–250–सह–पठित ज्ञापांक–2927 दिनांक–10.08.2009 द्वारा अधिरोपित शास्ति एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के आलोक में कार्यालय आदेश सं0–199–सह–पठित ज्ञापांक–2452 दिनांक–21.06.2010 द्वारा संसूचित आदेश को निरस्त किया जाता है।

25/9/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 3/अ०प्र०–1–89/2021 1433 /पटना/दिनांकः– 4-10-21

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, दरभंगा एवं पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, बिरौल एवं मसौढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी– 4, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/प्रखंड विकास पदाधिकारी, किरतपुर एवं बिरौल/श्री छोटू प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, बिरौल प्रखंड, दरभंगा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी, प्रशाखा–धनरूआ–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/21

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–89/2021 1433 /पटना/दिनांकः– 4-10-21

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०), महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/9/21

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–89/2021 1433 /पटना/दिनांकः– 4-10-21

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, विश्वेसरैया भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/21

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–89/2021 1433 /पटना/दिनांकः– 4-10-21

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/9/21

अभियंता प्रमुख